सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

माननीय प्रबंध परिषद की 32वीं बैठक दिनांक 21 अगस्त, 2016 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबंध परिषद की 32वीं बैठक दिनांक 21 अगस्त, 2016 को पूर्वान्ह् 11:00 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के कुलसचिव सभाकक्ष में सम्पन्न हुई।

बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थीः–

1.	डा0 गया प्रसाद, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री गुलाम मौहम्मद, मा0 विधायक	सदस्य
3.	श्री रणबीर सिंह, लाइव स्टाक ब्रीडर	सदस्य
4.	श्री अनिल कुमार यादव, कृषि उद्योगपति	सदस्य
5.	श्रीमति संगीता राहुल, सामाजिक महिला कार्यकत्री	सदस्य
6.	डा0 महेश कौशिक, कृषि वैज्ञानिक	सदस्य
7.	श्री गनेश चन्द्र उर्फ फौजी, प्रगतिशील कृषक	सदस्य
8.	डा0 पी0एस0 पाण्डेय, सहायक महानिदेशक, आई0सी0ए0आर0 प्रतिनिधि	सदस्य
9.	डा0 राघवेन्द्र सिंह, कोषाधिकारी, मेरठ (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
10.	श्री राम चन्द्र सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ (निदेशक कृषि, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिनिधि)	सदस्य
11.	श्री सत्येन्द्र कुमार, वित्त नियंत्रक	सचिव

मा0 प्रबंध परिषद के अध्यक्ष द्वारा मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 32.1 : माननीय प्रबंध परिषद की 31वीं बैठक दिनांक 18 जून, 2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

माननीय प्रबंध परिषद द्वारा दिनांक 18 जून, 2016 को सम्पन्न 31वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि इस शर्त के साथ की गयी कि पत्र संख्या सवप/2016/प्र0प0/7285 दिनांक 28 जून, 2016 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त में बिन्दु संख्या 31.5 को निम्न प्रकार संशोधित माना जायेगा :–

"मा0 प्रबंध परिषद द्वारा डा0 रमेश यादव, सहायक प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग को निलम्बित करने के प्रस्ताव पर महिला शिकायत समिति (WCC) की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत ही विचार किया जायेगा तथा निर्देश दिये गये कि उक्त प्रकरण में महिला शिकायत समिति (WCC) की रिपोर्ट 15 दिनों के अन्दर प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायें।"

(कार्रवाईः कुलसचिव/अध्यक्ष, WCC)

31.13 (क) : विश्वविद्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के दोरान वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्त समिति की 4वीं बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 के बिन्दु संख्या 4.15 एवं 8वीं बैठक दिनांक 12 जनवरी, 2016 के बिन्दु संख्या 8.13 पर पूर्व में प्रस्तुत किये जा चुके है तथा वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 3028/67–कृशिअ–04–1506/96 दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 के अनुपालन सम्बन्धित प्रकरण पर उत्तर प्रदेश शासन से स्वीकृति के उपरान्त ही विश्वविद्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

इस सम्बन्ध में कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की भांति स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

31.13 (ख): डा0 पंकज कुमार, सह प्राध्यापक, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय द्वारा गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) में की गयी सेवाओं को जोडने के संबंध में।

इस सम्बन्ध में वित्त नियन्त्रक द्वारा अवगत कराया गया कि "श्री नील रतन कुमार, विशेष सचिव, वित्त सामान्य अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 सा–3–वी0आई0पी0–68/दस–2014–917/79 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के द्वारा प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन से भारत सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या – 3(20)/पेंशन(ए)/79 दिनांक 31 मार्च, 1982 की व्यवस्था के अधीन उत्तराखण्ड सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ पारस्परिक समझौते के आधार पर एक दूसरे के सरकारी कर्मचारियों, जिनकी सेवायें पेंशनेबुल रही हो, की ऐसी अर्हकारी पेंशनेबुल सेवा को अपने अधीन पेंशनेबुल सेवा के साथ सेवा नैवृत्तिक लाभों की गणना के लिये अर्हकारी सेवा में जोडे जाने पर आनुपातिक पेंशनीय भार वहन किये जाने के सम्बंध में वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में सहमति प्रदान की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार डा0 पंकज कुमार, सह प्राध्यापक, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय द्वारा गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर, ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) में की गयी सेवायें जोडने के संबंध में मा0 प्रबंध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि डा0 पंकज कुमार द्वारा की गयी उत्तराखण्ड राज्य में सेवायें पेंशन हेतु अर्ह है।

(कार्रवाईः कुलसचिव/वित्त नियंत्रक)

31.8 (ग) : डा0 ओमवीर सिंह, कार्यकम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, हस्तिनापुर की सेवायें

पेंशन हेतु जोडे जाने के संबंध में बिन्दु संख्या 31.8 के कम संख्या–8 पर विश्वविद्यालय के कार्मिक अनुभाग के पत्र संख्या सवप/2016/का0अनु0 /4643 दिनांक 15.6.2016 (प्रतिलिपि संलग्न) पर मा0 प्रबंध परिषद की कार्य सूची में शामिल किया गया था। वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि डा0 ओमवीर सिंह की सेवायें कृषि विज्ञान केन्द्र की होने के कारण पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा नहीं है।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुऐ कार्यवृत्त में संशोधन की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

प्रस्ताव संख्या 32.2: मा0 प्रबंध परिषद की 31वीं बैठक दिनांक 18 जून, 2016 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

अनुपालन आख्या का अवलोकन कर निम्न निर्देश दिये गये:–

1. **असमायोजित अग्रिमों का समायोजन :** मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा संबंधित शिक्षकों/कर्मियों को अपने समक्ष व्यक्तिगत रुप से बुलाकर समायोजन हेतु निर्देशित किया जा रहा है तथा इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहें है। मा0 प्रबंध परिषद द्वारा अपेक्षा की गयी कि लेखा विभाग द्वारा अपने स्तर से अग्रिम समायोजन हेतु प्रभावी कार्रवाई की जायें तथा मा0 कुलपति जी का उक्त कार्य हेतु सहयोग लिया जायें।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

2. **विश्वविद्यालय की वरिष्ठता सूची जारी करने के संबंध मे:**

मा0 प्रबंध परिषद द्वारा उक्त के संबंध में निर्देश दिये गये कि शिक्षकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी करने के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायें।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

3. कुशल/अकुशल श्रमिकों के ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 तथा बकाया भुगतान के संबंध में।

विश्वविद्यालय में सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत कुशल/अकुशल श्रमिकों के ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 तथा बकाया भुगतान के संबंध में गठित 03 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति की ओर से डा0 महेश कौशिक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत की गयी । जांच संस्तुतियों पर अंतिम निर्णय आगामी बैठक में परिषद द्वारा लिया जायेगा। जांच रिपोर्ट (संलग्न) की मुख्य संस्तुतियां निम्नवत् है :–

बिन्दु संख्या–1: विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कुशल/अकुशल श्रमिकों द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 की अवधि में किये गये कार्यो का सत्यापन।

संस्तुतिः वित्त नियंत्रक कार्यालय द्वारा भुगतान किये गये देयक प्रपत्रों/अभिलेखों तथा विभागाध्यक्षों/प्रभारी अधिकारियों द्वारा कार्य संतोषजनक होना प्रमाणित किये जाने के आधार पर कार्यो का सत्यापन किया गया। (संलग्नक–ख)।

बिन्दु संख्या–2: उक्त कार्यो को कराने में कुशल/अकुशल श्रमिकों की संख्या का सत्यापन।

संस्तुतिः विश्वविद्यालय के विभिन्न निदेशक, अधिष्ठाताओं, कुलसचिव, विभागध्यक्षों, प्रभारी अधिकारी आदि द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के आधार पर 86 कुशल तथा 82 अकुशल श्रमिकों सहित 168 श्रमिकों द्वारा कार्य करायें जाने का सत्यापन किया जाता है। (संलग्नक–ग 1–97 में ही सत्यापन किया गया है)।

बिन्दु संख्या–3 : माह से लम्बित मजदूरी का प्राथमिकता पर भुगतान।

संस्तुतिः जांच रिपोर्ट में प्रस्तुत किये गये तथ्यों के आधार पर माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2015 के भुगतान किये जाने की पुष्टि समिति द्वारा की जाती है। (संलग्नक–घ)

बिन्दु संख्या–4 : कुशल/अकुशल श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान।

संस्तुतिः जांच रिपोर्ट में प्रस्तुत किये गये समस्त तथ्यों के दृष्टिगत संस्तुति की जाती है कि भविष्य में प्रत्येक माह की 07 तारीख तक सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान दिया जाना सुनिश्चित किया जायें। सेवा प्रदाता द्वारा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उनके बैंक खातों में ही भेजा जायें तथा किसी भी दशा में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नकद नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त समिति यह भी संस्तुति करती है कि विश्वविद्यालय द्वारा भी सेवा प्रदाता के देयकों का भुगतान शीघ्रता से किया जाये तथा अनावश्यक रुप से भुगतान प्रक्रिया को लम्बित रखने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये।

बिन्दु संख्या–5 : कुशल/अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान।

संस्तुतिः उक्त सम्बन्ध में समिति द्वारा संस्तुति की जाती हैं कि भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किये जाने वाले टेण्डर की शर्त में स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि सेवा प्रदाता द्वारा अपने पास से श्रमिकों को माह की 07 तारीख तक मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। सेवा प्रदाता द्वारा अपने पास से मजदूरी/ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 आदि भुगतान करने के उपरान्त देयक विश्वविद्यालय को न्यूनतम मजदूरी, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 आदि का नियमानुसार भुगतान करने अथवा जमा करने के साक्ष्यों के साथ उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 आदि के भुगतान /जमा कराने के सत्यापन हेतु एक 03 सदस्यीय समिति का गठन किया जाना उपयुक्त होगा, जिसमें सम्बन्धित इण्डेंटर, वित्त नियंत्रक के प्रतिनिधि तथा कुलसचिव (कार्मिक) द्वारा नामित अधिकारी (ग्रेड वेतन धनराशि रु0 5400/– से कम के नहीं) शामिल किये जायें। कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत एक से अधिक सत्यापन समितियों का गठन करने पर भी विचार किया जा सकता है। अधिकारियों द्वारा 3–4 कार्य दिवसों में सत्यापन कार्य सम्पादित करते हुऐ सत्यापन आख्या दी जायेगी तथा इसी सत्यापन आख्या के आधार पर देयक का भुगतान किया जायेगा। किसी भी समय यदि सत्यापित देयक में कोई त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिए सत्यापन

समिति के सदस्य उत्तरदायी होगें। विश्वविद्यालय के शीर्ष स्तर से अधिकारियों में आपसी सामंजस्य स्थापित कराने की अपेक्षा भी की जाती है।

बिन्दु संख्या–6 : कुशल/अकुशल श्रमिकों को ई0एस0आई0 सुविधा दिया जाना।

संस्तुतिः बिन्दु संख्या–5 में की गयी संस्तुतियों के अनुसार कार्रवाई करना उपयुक्त होगा।

बिन्दु संख्या–7 : कुशल/अकुशल श्रमिकों को ई0पी0एफ0 का भुगतान।

संस्तुतिः सेवा प्रदाता के द्वारा देयक सत्यापन समिति को प्रस्तुत ई0पी0एफ0/ ई0एस0आई0 चालानों के साथ ही श्रमिकों की सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा सत्यापन समिति द्वारा भी सूची ठेकेदार से प्राप्त नहीं की गयी। विश्वविद्यालय द्वारा किये गये टेण्डर में भी इसका उल्लेख नहीं था, जिसका लाभ ठेकेदार द्वारा उठाया गया तथा भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए कि चालानों के साथ सूची भी प्राप्त की जायें। ठेकेदार द्वारा समिति को बार–बार यह भी अवगत कराया गया कि टेण्डर के अनुसार कार्य अनुबन्ध था न कि श्रमिकों की संख्या का अनुबन्ध था। उपर्युक्त प्रस्तुत तालिका में अंकित तथ्यों से सहमत होते हुए जांच समिति अपेक्षा करती है कि सेवा प्रदाता फर्म मैसर्स ऐन्टेलस सिक्योरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेज द्वारा **221 कुशल व अकुशल श्रमिकों को धनराशि रु0 9,89,635.00 (रुपये नौ लाख नवासी हजार छः सौ पैंतीस मात्र) की अवशेष ई0पी0एफ0 देयता का भुगतान एकाउन्ट पेयी चैक के माध्यम से कुशल/अकुशल श्रमिकों से न्यूनतम मजदूरी, ई0पी0एफ0 तथा ई0एस0आई0 का सम्पूर्ण भुगतान प्राप्त करने तथा कोई भी देय अवशेष न रहने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाये।** इस अदेयता प्रमाण–पत्र पर 02 साथी श्रमिकों के हस्ताक्षर साक्षी के रुप में अनिवार्य रुप से प्राप्त किये जायें। जांच समिति द्वारा यह भी संस्तुति की जाती है कि उपरोक्तानुसार अवशेष धनराशि का भुगतान करने तथा श्रमिकों से अदेयता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर वित्त नियंत्रक कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त सेवा प्रदाता फर्म मैसर्स ऐन्टेलस सिक्योरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेज की रोकी गयी धनराशि रु0 20.00 लाख को अवमुक्त कर दिया जायें। उपर्युक्त समस्त कार्रवाई 15 कार्य दिवसों में सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या–5 में की गयी संस्तुतियों के अनुसार कार्रवाई करना उपयुक्त होगा।

साथ ही निर्णय लिया गया कि सेवा प्रदाता फर्म मैसर्स ऐन्टेलस सिक्योरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेज, प्रथम तल, न्यू पटेल नगर के सामने, रेलवे क्रासिंग के समीप, शारदा नगर, सहारनपुर (उ0प्र0) द्वारा जमा करायी गयी बैंक गारन्टी धनराशि रु0 20 लाख मात्र जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई होने तक जब्त रहेगी तथा जब्त की गयी धनराशि प्राप्त करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा विशेष वाहक के माध्यम से कार्रवाई करायी जायें। *(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)*

प्रस्ताव संख्या 32.3: विद्वत परिषद की 58वीं (विशेष) बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन

माननीय प्रबंध परिषद द्वार विद्वत परिषद की 58वीं (विशेष) बैठक दिनांक 18 जुलाई, 2016 की संस्तुतियों को अनुमोदित किया गया।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या 32.4: श्री सुभाष लायल, चालक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मुरादाबाद के वेतन आहरण स्रोत को आई0सी0ए0आर0 मद से सामान्य मद में परिवर्तित करने के संबंध में।

श्री सुभाष लायल, कृषि विज्ञान केन्द्र, मुरादाबाद के वेतन आहरण स्रोत को आई0सी0ए0आर0 मद से सामान्य मद में परिवर्तन करने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के दौरान वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि कुलसचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में उल्लेख नहीं है कि श्री सुभाष लायल, चालक का विश्वविद्यालय में सामान्य बजट में किस पद पर समायोजन किया जाना है। मा0 प्रबंध परिषद द्वारा वाहन चालक के वेतनमान के समकक्ष विश्वविद्यालय में रिक्त किसी भी पद पर श्री सुभाष लायल, चालक का समायोजन इस शर्त के साथ किया जाये कि विश्वविद्यालय में वाहन चालक का पद रिक्त होने पर श्री सुभाष लायल को वाहन चालक के पद पर ही समायोजित माना जायेगा। *(कार्रवाईः कुलसचिव)*

प्रस्ताव संख्या 32.5: दिनांक 31 मार्च, 2016 को असमायोजित अग्रिमों के संबंध में प्रस्ताव।

समान प्रस्ताव संख्या 32.2.1 के अनुसार ही कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 32.6: कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यरत लेखा संवर्ग के कर्मचारियों को वेतन समिति, 2008 के ग्यारहवें प्रतिवेदन के अनुकम में पदों की वेतन विसंगतियों के निराकरण/पुर्नगठन के संबंध में ।

कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यरत लेखा संवर्ग के कर्मचारियों को वेतन समिति, 2008 के ग्यारहवें प्रतिवेदन के अनुकम में पदों की वेतन विसंगतियों के निराकरण/पुर्नगठन के संबंध में की गयी संस्तुतियों का अनुमोदन कर विश्वविद्यालय में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या 32.7: उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सा–3–1287/दस–2010 दिनांक 28 जुलाई, 2010 को अंगीकृत करने के संबंध में।

उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सा–3–1287/दस–2010 दिनांक 28 जुलाई, 2010 को अंगीकृत करने के संबंध में कुलसचिव द्वारा उपलब्ध कराया गया, उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन की स्वीकृति प्राप्त की जायें।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या 32.8: विज्ञापन संख्या IV/2014 द्वारा विज्ञापित पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के शिक्षक पदों की नियुक्ति से संबंधित लिफाफे खोलने के संबंध में।

विज्ञापन संख्या IV/2014 द्वारा विज्ञापित पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के शिक्षक पदों की नियुक्ति से संबंधित लिफाफे खोलने हेतु संलग्न सूची *(सूची संलग्न)* के अनुसार मा0 प्रबंध परिषद द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत

करते हुये निर्देशित किया गया कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व उ0प्र0 शासन की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायें।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या 32.9: अन्य बिन्दुः

(1): वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट का अनुमोदन।

परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट का अनुमोदन किया गया।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

(2): मा0 प्रबंध परिषद द्वारा वित्त समिति में श्रीमति संगीता राहुल को 02 वर्ष हेतु नामांकन करने के संबंध में।

वित्त समिति हेतु मा0 प्रबंध परिषद के 01 सदस्य को वित्त समिति में सदस्य नामित किया जाता है। मा0 प्रबंध परिषद द्वारा श्रीमति संगीता राहुल को 02 वर्ष के लिये वित्त समिति का सदस्य नामित किया गया।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

(3): श्री गुलाम मौहम्मद, मा0 विधायक द्वारा अपेक्षा की गयी कि मा0 प्रबंध परिषद की आगामी बैठक में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में की गयी प्रगति के संबंध में कार्य सूची में बिन्दु बनाते हुऐ जानकारी दी जाये। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्र के किसानों को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराते हुए लाभान्वित किये जाने की भी जानकारी बैठक में अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायी जाये।

मा0 विधायक श्री गुलाम मौहम्मद द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव को मा0 प्रबंध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(कार्रवाईः निदेशक –शोध/प्रसार)

(4): मा0 प्रबंध परिषद के सदस्य मा0 श्री गुलाम मोहम्द एवं मा0 श्री अनिल यादव द्वारा श्री अशोक कुमार, सहायक निदेशक (फसल अनुसंधान केन्द्र) का वेतन रोकने से संबंधी प्रकरण को उठाया गया तथा परिषद द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि Study Leave पर गये शिक्षकों को वेतन जारी करने हेतु Absentee Statement प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है एवं परिषद के सदस्यों द्वारा निर्देशित किया गया कि श्री अशोक कुमार, सहायक निदेशक (फसल अनुसंधान केन्द्र) के रुके हुऐ वेतन का तत्काल प्रभाव से भुगतान किया जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

(5): मा0 प्रबंध परिषद सदस्यों द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि पूर्व कुलसचिव डा0 सी0एस0 प्रसाद द्वारा प्रस्तुत एवं पूर्व कुलपति द्वारा हस्ताक्षरित किये गये अग्रिम समायोजन से संबंधित समस्त दस्तावेज स्वीकार कर डा0 सी0एस0 प्रसाद के रुके हुऐ वेतन का तत्काल प्रभाव से भुगतान किया जायें।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

(6): मा0 प्रबंध परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा विशेष रुप से यह निर्देश दिये गये कि परिषद की बैठक के दौरान वास्तविक रुप से किये गये विचार–विमर्श एवं सर्वसम्मति से लिये गये निर्णयों को ही बैठक के कार्यवृत्त में लाया जाना सुनिश्चित किया जायें। ***(कार्रवाईः कुलपति/वित्त नियंत्रक)***

(7): मा0 प्रबंध परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वित्त नियंत्रक द्वारा विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार की नीति निर्धारण एंव प्रशासनिक प्रकरणों से संबंधित आंतरिक व बाह्य पत्राचार/आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना नहीं किये जायेगें। ***(कार्रवाईः कुलपति)***

अन्त में सचिव मा0 प्रबंध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(डा0 गया प्रसाद)

कुलपति/अध्यक्ष, मा0 प्रबंध परिषद

संलग्नक

List of Selected Candidates for College of Veterinary Science and Animal Husbandry
(Advertisement No. IV/2014)

S.N.	Name of Selected Candidates	Designation	Subject	Remarks
01	Dr. Vijay Singh	Professor	Gynaecology & Obstetrics	
02	Dr. Tarun Kumar Sarkar	Professor	Veterinary Medicine	
03	Dr. Neelam Sachan	Assoc. Prof.	Public Health & Epidemiology	
04	Dr. Rajeev Ranjan Kumar	Assoc. Prof.	Livestock Products Technology	
05	Dr. Vipul Thakur (Gen)	Asstt. Prof.	Veterinary Medicine	
06	Dr. Arvind Singh (OBC)	Asstt. Prof.	Veterinary Medicine	
07	Dr. Modh. Ameer Khan (Gen)	Asstt. Prof.	Veterinary Animal Husbandry Extension	
08	Dr. Adesh Kumar Verma (OBC)	Asstt. Prof.	Veterinary Animal Husbandry Extension	
09	Dr. Sweta Anand (Gen)	Asstt. Prof.	Veterinary Pharmacology & Toxicology	
10	Dr. Akhilesh Kumar (Gen)	Asstt. Prof.	Surgery & Radiology	
11	Dr. Amita Singh (OBC)	Asstt. Prof.	Surgery & Radiology	
12	Dr. Akhilesh Kumar (OBC)	Asstt. Prof.	Livestock Products Technology	

सलग्नक

मा0 प्रबन्ध परिषद की 30वीं बैठक दिनाँक 27 जनवरी, 2016 के प्रस्ताव संख्या–30.7 अन्य बिन्दु विश्वविद्यालय परिसर में सेवा प्रदाता के माध्यम से कुशल /अकुशल कार्य करने वाले श्रमिकों की समस्याओं का समाधान कराने के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट

मा0 प्रबन्ध परिषद 30वीं बैठक दिनाँक 27 जनवरी, 2016 के प्रस्ताव संख्या–30.7 विश्वविद्यालय में सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत कुशल/अकुशल श्रमिकों के ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 तथा बकाया मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में गहन विचार–विमर्श किया गया। मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा धरनारत कुशल/अकुशल श्रमिकों के प्रतिनिधियों से श्रमिकों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त की गयी तथा कुशल/अकुशल श्रमिकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु एक उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित करने का निर्णय लियाः–

1. श्रीमती संगीता राहुल, सदस्य, मा0 प्रबन्ध परिषद
2. डा0 महेश कौशिक, सदस्य, मा0 प्रबन्ध परिषद
3. जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा नामित उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा का अधिकारी

उपरोक्तानुसार गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति से निम्न बिन्दुओं पर जांच कर आख्या देने की अपेक्षा की गयीः–

1. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कुशल/अकुशल श्रमिकों द्वारा दिनाँक 01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 की अवधि में किये गये कार्यों का सत्यापन।
2. उक्त कार्यों को कराने में कुशल/अकुशल श्रमिकों की संख्या का सत्यापन
3. 02 माह से लम्बित मजदूरी का प्राथमिकता पर भुगतान।
4. कुशल/अकुशल श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान
5. कुशल/अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान
6. कुशल/अकुशल श्रमिकों को ई0एस0आई0 सुविधा दिया जाना।
7. कुशल/अकुशल श्रमिकों को ई0पी0एफ0 का भुगतान

उक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी, मेरठ से प्रतिनिधि नामित करने हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा पत्रांक सं0–1831/ओएसडी–कैम्प/2016 दिनाँक 31 जनवरी, 2016 द्वारा श्री सतीश पाल, वित्त एवं लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मेरठ को सदस्य नामित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में उच्च स्तरीय जांच समिति की निम्नलिखित बैठकें आहूत की गयीं:–

20/2/16

क्र0 सं0	दिनाँक	उपस्थिति	कार्यवृत्त का पत्रांक तथा दिनाँक
01	19.02.16	श्रीमती संगीता राहुल, डा0 महेश कौशिक, श्री सतीश पाल,	सवप/2016/वि0नि0/7165 दि0 19.02.16
02	25.02.16	श्रीमती संगीता राहुल, डा0 महेश कौशिक, श्री सतीश पाल,	सवप/2016/वि0नि0/7169 दि0 25.02.16
03	17.05.16	श्रीमती संगीता राहुल, डा0 महेश कौशिक,	सवप/2016/वि0नि0/1006 दि0 23.05.16
04	01.06.16	डा0 महेश कौशिक, श्री सतीश पाल,	सवप/2016/वि0नि0/7261 दि0 01.06.16
05	21.06.16	श्रीमती संगीता राहुल, डा0 महेश कौशिक, श्री सतीश पाल,	सवप/2016/वि0नि0/7281 दि0 21.06.16
06	02.07.16	श्रीमती संगीता राहुल, डा0 महेश कौशिक, श्री सतीश पाल,	सवप/2016/वि0नि0/7289 दि0 04.07.16
07	25.07.16	श्रीमती संगीता राहुल, डा0 महेश कौशिक, श्री सतीश पाल,	सवप/2016/वि0नि0/7319 दि0 03.08.16

(संलग्नक–क 1 से 53)

उच्च स्तरीय जाँच समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनाँक 07 जून, 2013 के प्रस्ताव संख्या–2.8 पर निम्न निर्णय लिया गयाः–

> "विश्वविद्यालय में ठेके के आधार पर कार्य कर रहे श्रमिकों की मजदूरी रू0 160 से रू0 200 तथा रू0 120 से रू0 150 प्रतिदिन करने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श करने के उपरान्त संस्तुति की गयी कि विश्वविद्यालय स्तर पर गठित मानव दिवस निर्धारण समिति से विभिन्न महाविद्यालयों, कार्यालयों, केन्द्रों एवं प्रक्षेत्रों पर उक्त श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण संकलित करते हुए उनके द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों को सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्य अनुबन्ध के आधार पर कराया जाये तथा उ0प्र0 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाये।"
>
> (कार्रवाईः कुलसचिव, अध्यक्ष मानव दिवस आवंटन समिति)

20/8/16

माननीय प्रबन्ध परिषद की 22वीं बैठक दिनांक 15 जून, 2013 के प्रस्ताव संख्या–22.6 पर निम्न निर्णय लिया गयाः–

"माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्त समिति की संस्तुतियों का अवलोकन कर स्वीकृति प्रदान की गयी।"

विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न महाविद्यालयों, विभागों, छात्रावासों में कुशल /अकुशल श्रमिकों द्वारा सम्पादित कार्यों को सेवा प्रदाता के माध्यम से कराने का कार्य अनुबंध हेतु टेण्डर तैयार कर इंडेंटर/अध्यक्ष, मानव दिवस आवंटन समिति/कुलसचिव, डा0 सी0एस0 प्रसाद द्वारा तैयार कर तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तकनीकी समिति में निम्नलिखित सदस्य थेः–

1. डा0 एस0के0 भटनागर, अध्यक्ष
2. डा0 आर0ए0 सिद्दीकी, सदस्य
3. डा0 पुरूषोत्तम, सदस्य
4. श्री दीपक मिश्रा, सदस्य
5. डा0 पुष्पेन्द्र कुमार, सदस्य
6. डा0 रामजी सिंह, सदस्य
7. श्री सत्येन्द्र कुमार, वित्त नियंत्रक/सदस्य
8. डा0 सी0एस0 प्रसाद, इंडैण्टर एवं अध्यक्ष, मानव दिवस आवंटन समिति

तकनीकी समिति की संस्तुतियों को मा0 कुलपति जी के अनुमोदन के उपरान्त दैनिक समाचार पत्रों में टेण्डर सूचना प्रकाशित की गयी। प्राप्त टेण्डरों को विश्वविद्यालय की केन्द्रीय क्रय समिति के समक्ष खोला गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य थेः–

1. डा0 देवी सिंह, अध्यक्ष केन्द्रीय क्रय समिति
2. डा0 गजे सिंह, सदस्य
3. डा0 रविन्द्र कुमार, सदस्य
4. प्रो0 शमशेर, सदस्य
5. डा0 अनिल सिरोही, सदस्य
6. डा0 वाई0पी0 सिंह, सदस्य
7. डा0 रघुवीर सिंह, सदस्य
8. श्री सत्येन्द्र कुमार, वित्त नियंत्रक/सदस्य

20/8/16

9. डा0सी0एस0 प्रसाद, इंडैण्टर एवं अध्यक्ष मानव दिवस आवंटन समिति, कुलसचिव/सदस्य

केन्द्रीय क्रय समिति की संस्तुतियों के आधार पर कुलपति जी द्वारा मैसर्स ऐन्टेलस सिक्योरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेज, प्रथम तल, न्यू पटेल नगर के सामने, रेलवे क्रासिंग के समीप, शारदा नगर, सहारनपुर (उ0प्र0) से कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी। टेण्डर की शर्त संख्या–14 तथा 22 में कार्य अनुबन्ध से सम्बन्धित कार्य विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के निर्देशानुसार कराने का उल्लेख किया गया है। परन्तु कुशल/अकुशल श्रमिकों सम्बन्धी कार्यों हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में कोई आदेश विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा जांच समिति को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत पत्रावली के पृष्ठ संख्या–2 पर तत्कालीन कुलपति जी द्वारा अपने आदेश दिनाँक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा कुशल/अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह कार्य का सत्यापन तथा देयक प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कुलसचिव, अधिष्ठाता (कृषि), अधिष्ठाता (जैव प्रौद्योगिक महाविद्यालय) एवं अधिष्ठाता (पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय) को अधिकृत किया गया है तथा इन्हीं अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल पर प्रतिमाह कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित किया जाता रहा है तथा वित्त नियंत्रक कार्यालय को प्रेषित किये जाने वाले देयक प्रपत्र पर भी हस्ताक्षर किये जाते रहे हैं।

समिति की बिन्दुवार आख्या निम्नवत हैः–

1. **विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कुशल/अकुशल श्रमिकों द्वारा दिनाँक 01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 की अवधि में किये गये कार्यों का सत्यापनः–**

सेवा प्रदाता फर्म मैसर्स ऐन्टेलस सिक्योरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेज द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा प्रतिमाह कार्य सम्पादित कराने के उपरान्त अपना बिल तैयार करते हुए मा0 कुलपति जी द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारियों कुलसचिव, अधिष्ठाता (कृषि), अधिष्ठाता (जैव प्रौद्योगिक महाविद्यालय) एवं अधिष्ठाता (पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय) को उपलब्ध कराते हुए सत्यापन कराया जाता था।

वित्त नियन्त्रक कार्यालय द्वारा समिति को सेवा प्रदाता फर्म मैसर्स ऐन्टेलस सिक्योरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेज द्वारा प्रतिमाह प्रस्तुत किये गये देयकों का अवलोकन

कराया गया। इन देयकों के पृष्ठ भाग पर अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, अधिष्ठाता, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, कुलसचिव आदि द्वारा कार्य संतोषजनक सम्पादित होना सत्यापित किया जाता रहा है एवं सम्बन्धित कन्टीजेन्ट बिल भी उक्त पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाते रहे हैं।

उक्त के अतिरिक्त कुशल श्रमिकों के कार्यों का सत्यापन करने के लिये 54 विभागों तथा अकुशल श्रमिकों द्वारा किये गये कार्यों का सत्यापन करने हेतु 59 विभागों को पत्र प्रेषित कर कार्यों तथा कुशल/अकुशल श्रमिकों की संख्या का सत्यापन करने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त के उत्तर में विभागों के विभागाध्यक्षों/प्रभारी अधिकारियों द्वारा कार्य संतोषजनक होना प्रमाणित किया गया है।

अतः वित्त नियन्त्रक कार्यालय द्वारा भुगतान किये गये देयक प्रपत्रों/अभिलेखों तथा विभागाध्यक्षों/प्रभारी अधिकारियों द्वारा कार्य संतोषजनक होना प्रमाणित किये जाने के आधार पर कार्यों का सत्यापन किया गया। (संलग्नक–ख 1–270)

2. उक्त कार्यों को कराने में कुशल/अकुशल श्रमिकों की संख्या का सत्यापनः–

उक्त कार्यों को सेवा–प्रदाता के माध्यम से सम्पादित कराने में कुशल/ अकुशल श्रमिकों का सत्यापन सम्बन्धित विभागों से कराने के लिये जांच समिति द्वारा पत्र भेजकर अनुरोध किया गया। उक्त सत्यापन कार्य कराने के लिये समिति द्वारा कई अनुस्मारक पत्र भी भेजे गये तथा कई विभागों के अधिकारियों को दूरभाष पर वार्ता कर सत्यापन का अनुरोध भी किया गया। विश्वविद्यालय के एक उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापन आख्या भेजने का आश्वासन समिति के समक्ष दिया गया परन्तु काफी प्रयास के उपरान्त ही इस अधिकारी द्वारा सत्यापन आख्या समिति को उपलब्ध करायी गयी। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा कुशल/अकुशल श्रमिकों की संख्या के सत्यापन हेतु प्राप्त विवरण को निम्न प्रकार संकलित किया गया हैः–

कुशल श्रमिकों की संख्या की सत्यापित सूचीः– **(संलग्नक–ग 1–97)**

क्र0 सं0	विभाग का नाम कुशल श्रमिको से सम्बन्धित विभाग	सम्बंधित अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्यरत श्रमिकों की संख्या का सत्यापन
1	कुलपति कार्यालय	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
2	कुलपति कैम्प कार्यालय/एनेक्सी	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
3	मशरूम प्रयोगशाला	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)

4	पूल, डा0 जी0आर0 सिंह	सत्यापित–03 कुशल (कार्य संतोषजनक)
5	कुलसचिव कार्यालय	
6	विश्वविद्यालय चिकित्सालय	सत्यापित–02 कुशल (कार्य संतोषजनक)
7	अधिष्ठाता, कृषि	सत्यापित–02 कुशल (कार्य संतोषजनक)
8	डा0 गजे सिंह, कीट विज्ञान विभाग	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
9	डा0 मनोज कुमार, उद्यान विज्ञान विभाग	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
10	सस्य विज्ञान विभाग	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
11	डा0 आर0बी0 यादव, प्रभारी अधिकारी, स्नातकोत्तर प्रयोगशाला	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
12	प्रो0 शमशेर, कृषि अभियंत्रण एवं खाद्य प्रौ0	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
13	डा0 अरविन्द कुमार, सहा0 निदेशक शोध (उद्यान), पुराना परिसर	सत्यापित–03 कुशल (कार्य संतोषजनक)
14	मौलिक विज्ञान	सत्यापित–02 कुशल (कार्य संतोषजनक)
15	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
16	फूड प्रौसेसिंग यूनिट	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
17	विभागाध्यक्ष, जैनेटिक्स एण्ड प्लांट ब्रीडिंग	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
18	आई0टी0 सैल, डा0 दीपक सिसौदिया	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
19	प्लेसमेंट निदेशालय	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
20	पादप रोग विज्ञान	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
21	निमेटोलॉजी लैब, डा0 कमल खिलाड़ी	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
22	वित्त नियन्त्रक कार्यालय	सत्यापित–03 कुशल (कार्य संतोषजनक)
23	अधिष्ठाता, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
24	कम्प्यूटर लैब, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
25	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
26	अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर, डा0 एन0एस0 राना	सत्यापित–02 कुशल (कार्य संतोषजनक)
27	पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय	सत्यापित–08 कुशल (कार्य संतोषजनक)
28	नोडल अधिकारी, निर्माण	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
29	मोलीक्यूलर बॉयोलोजी लैब	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
30	निदेशक प्रसार	सत्यापित–03 कुशल (कार्य संतोषजनक)
31	लैण्ड स्कैपिंग एण्ड गार्डन सैक्शन	सत्यापित–03 कुशल–दिनांक जनवरी, 2015 से जुलाई, 2015 तक एवं सत्यापित–02 कुशल–दिनांक अगस्त, 2015 से अगस्त, 2015 तक (कार्य संतोषजनक)
32	डा0 योगेश प्रसाद, टिशू कल्चर लैब	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
33	जैविक नियन्त्रण प्रयोगशाला	सत्यापित–02 कुशल (कार्य संतोषजनक)
34	कार्मिक अनुभाग	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
35	नोडल अधिकारी विधिक (मंदिर के पुजारी सहित)	सत्यापित–02 कुशल (कार्य संतोषजनक)
36	उपनिदेशक, निर्माण एवं संयंत्र	सत्यापित–03 कुशल (कार्य संतोषजनक)
37	विद्युत विभाग	विद्युत विभाग– सत्यापित–08 कुशल (कार्य संतोषजनक), सत्यापित–06 कुशल श्रमिक–33/11 के0वी0 सबस्टेशन (कार्य संतोषजनक)
38	सहायक सुरक्षा अधिकारी	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
39	निदेशक शोध	–शून्य–
40	राबर्ट एस जिगलर प्रयोगशाला	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
41	सरोजनी भवन	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
42	न्यू गर्ल्स हास्टल	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
43	पटेल भवन	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
44	गांधी भवन	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतो"ाजनक)
45	नेहरू भवन	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
46	सुभाष भवन छात्रावास	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
47	शहीद भवन	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)

48	टाईप–I	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
49	न्यू0 पी0जी0 हास्टल	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
50	इण्टरनेशनल हास्टल	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
51	कृषक प्रशिक्षण छात्रावास	सत्यापित–03 कुशल (कार्य संतोषजनक)
52	लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
53	हर्बल गार्डन	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
54	मतस्य, प्रदर्शन एवं शोध इकाई (एक्सपीरियेन्स लर्निंग)	सत्यापित–01 कुशल (कार्य संतोषजनक)
	योग	**86 कुशल (कार्य संतोषजनक)**

अकुशल श्रमिकों की संख्या की सत्यापित सूची :–

क्र0 सं0	अकुशल श्रमिको से सम्बन्धित विभाग	सम्बंधित अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष /प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्यरत श्रमिकों की संख्या का सत्यापन
1	कुलपति कार्यालय	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
2	कुलपति कैम्प कार्यालय/एनेक्सी	सत्यापित–02 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
3	एनैक्सी	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
4	मशरूम प्रयोगशाला	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
5	पूल, डा0 जी0आर0 सिंह	सत्यापित–02 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
6	कुलसचिव कार्यालय	
7	डा0 गजे सिंह, कीट विज्ञान विभाग	
8	सस्य विज्ञान विभाग	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
9	प्रो0 शमशेर, कृषि अभियंत्रण एवं खाद्य प्रौ0	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
10	डा0 अरविन्द कुमार, सहा0 निदेशक शोध (उद्यान), पुराना परिसर	सत्यापित–04 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
11	मौलिक विज्ञान	सत्यापित–02 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
12	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	सत्यापित–02 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
13	फूड प्रोसेसिंग यूनिट	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
14	विभागाध्यक्ष, जैनेटिक्स एण्ड प्लांट ब्रीडिंग	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
15	आई0टी0 सैल, डा0 दीपक सिसौदिया	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
16	पादप रोग विभाग	
17	कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन विभाग	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
18	कृषि प्रसार विभाग	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
19	मृदा विज्ञान विभाग	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
20	वित्त नियन्त्रक कार्यालय	सत्यापित–02 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
21	व्यायामशाला	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
22	अधिष्ठाता, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
23	सैल बायोलॉजी	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
24	कामर्शियल बायाटैक्नालॉजी	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
25	पैथोलॉजी एण्ड माइक्रोबायोलॉजी	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
26	मोलिक्यूलर बायोलॉजी एण्ड जैनेटिक्स इंजीनियरिंग	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
27	इम्यूनोलॉजी एण्ड डिफेन्स मैकेनिज्म	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
28	फिंगर प्रिन्टिंग	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
29	रिकाम्बीनेशन टैक्नालॉजी	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
30	बायोकैमेस्ट्री एण्ड फिज्योलॉजी क्लास रूम, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक) सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
31	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	सत्यापित–02 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
32	स्टेडियम कार्य हेतु	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
33	संगीत कक्षों हेतु	सत्यापित–00 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
34	पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय	सत्यापित–08 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
35	नोडल अधिकारी निर्माण	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
36	निदेशक प्रसार	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
37	लैण्ड स्कैपिंग एण्ड गार्डन सैक्शन	सत्यापित–10 अकुशल–जनवरी, 2015 से

		जुलाई, 2015 तक एवं सत्यापित–06 अकुशल–अगस्त, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक (कार्य संतोषजनक)
38	डा0 योगेश प्रसार, टिश्यू कल्चर लैब	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
39	डा0 डी0वी0 सिंह, फीश सीड प्रोडक्शन	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
40	जैविक नियन्त्रण प्रयोगशाला	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
41	नोडल अधिकारी, विधिक	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
42	उपनिदेशक, निर्माण एवं संयंत्र	सत्यापित–02 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
43	सहायक सुरक्षा अधिकारी	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
44	सरोजनी भवन	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
45	न्यू गर्ल्स हास्टल	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
46	पटेल भवन	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
47	गांधी भवन	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
48	नेहरू भवन	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
49	सुभाष भवन	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
50	शहीद भवन	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
51	टाईप–I	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
52	न्यू0 पी0जी0 हास्टल	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
53	इण्टरनेशनल हास्टल	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
54	कृषक प्रशिक्षण छात्रावास	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
55	कृषि तकनीकी सूचना केन्द्र/कृषक हेल्पलाईन	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
56	लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
57	निदेशक शोध कार्यालय	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
58	हर्बल गार्डन	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
59	विश्वविद्यालय चिकित्सालय	सत्यापित–01 अकुशल (कार्य संतोषजनक)
	योग	**82 अकुशल (कार्य संतोषजनक)**

अतः विश्वविद्यालय के विभिन्न निदेशक, अधिष्ठाताओं, कुलसचिव, विभागाध्यक्षों, प्रभारी अधिकारी आदि द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के आधार पर 86 कुशल तथा 82 अकुशल श्रमिकों सहित 168 श्रमिकों द्वारा कार्य कराये जाने का सत्यापन किया जाता है। (संलग्नक–ग 1–97 में ही सत्यापन किया गया है।)

3. 02 माह से लम्बित मजदूरी का प्राथमिकता पर भुगतानः–

सेवा प्रदाता फर्म मैसर्स ऐन्टेलस सिक्योरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेज द्वारा जांच समिति को अवगत कराया गया कि माह–नवम्बर, 2015 के देयक का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा काफी विलम्ब से किया गया तथा इसी कारण से कुशल/अकुशल श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने में विलम्ब हुआ है। माह–दिसम्बर, 2015 का भुगतान भी श्रमिकों के धरना के कारण बहुत विलम्ब से प्राप्त हुआ है। सेवा प्रदाता फर्म मैसर्स ऐन्टेलस सिक्योरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेज द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय से माह–नवम्बर, 2015 तथा दिसम्बर, 2015 के बिलों का भुगतान प्राप्त होते ही मा0 कुलपति

जी द्वारा अधिकृत 3 सदस्यों की समिति के समक्ष श्रमिकों को माह–नवम्बर, 2015 तथा दिसम्बर, 2015 की मजदूरी का भुगतान तत्काल कर दिया गया। सेवा प्रदाता द्वारा कार्य अनुबन्ध की अवधि का समस्त भुगतान श्रमिकों को कर दिया गया है तथा किसी भी श्रमिक की मजदूरी का भुगतान बकाया नहीं है। वित्त नियंत्रक कार्यालय द्वारा समिति को माह–नवम्बर, 2015 तथा दिसम्बर, 2015 के देयक प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि सेवा प्रदाता को इन देयकों का भुगतान कर दिया गया है।

समिति को कुशल/अकुशल श्रर्मिकों के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि दो माह (नवम्बर एवं दिसम्बर, 2015) का लम्बित भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा कर दिया गया है। **अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2015 के भुगतान किये जाने की पुष्टि समिति द्वारा की जाती है।** (संलग्नक-घ)

4. कुशल/अकुशल श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतानः–

सेवा प्रदाता द्वारा अवगत कराया गया कि "वर्ष के दौरान 2 बार सेवा प्रदाता द्वारा विश्वविद्यालय से बिना भुगतान प्राप्त किये ही श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान कर दिया गया था। इसके उपरान्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा देयकों पर सत्यापन करने तथा प्रतिहस्ताक्षर करने में काफी आनाकानी की गयी तथा कार्य का भुगतान काफी विलम्ब से किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा टेन्डर की शर्तों के अनुसार निर्धारित समय सीमा का अनुपालन न किये जाने के कारण ही सेवा प्रदाता फर्म द्वारा अपने पास से श्रमिकों को भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों को अवगत कराने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी।"

सेवा प्रदाता तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा विचार–विमर्श के दौरान समिति के संज्ञान में लाया गया कि सेवा प्रदाता द्वारा प्रतिमाह प्रस्तुत किये जाने वाले देयकों पर सम्बन्धित महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं इत्यादि द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता रहा है, जिससे कि उक्त प्रक्रिया को पूर्ण कराने में काफी समय व्यतीत हो जाता है। इसके पश्चात उक्त देयक पर प्रतिमाह मा0 कुलपति जी से स्वीकृति प्राप्त की जाती है। मा0 कुलपति जी द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त ही देयक का भुगतान सम्बन्धित सेवा प्रदाता फर्म को किया जाता रहा है। उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान आगामी माह की 07 तारीख तक कर दिया

20/9/16

जाना चाहिए। परन्तु सेवा–प्रदाता द्वारा निर्धारित अवधि में उक्त कुशल/अकुशल/सफाई श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा सका।

समिति द्वारा पाया गया कि श्रमिकों को नियमानुसार प्रत्येक माह की 07 तारीख तक मजदूरी का भुगतान कराया जाना सेवा प्रदाता तथा विश्वविद्यालय के प्रमुख नियोक्ता का उत्तरदायित्व है। स्पष्ट है कि सेवा प्रदाता, विश्वविद्यालय के सत्यापन करने वाले अधिकारियों, प्रमुख नियोक्ता/इन्डेंटर/कुलसचिव तथा वित्त नियंत्रक कार्यालय के अधिकारियों आदि द्वारा अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वो का निर्वहन सजगता से नहीं किया गया है।

सेवा प्रदाता द्वारा श्रमिकों को भुगतान करने के उपरान्त मजदूरी भुगतान का पूर्ण विवरण (साक्ष्य सहित) प्रमुख नियोक्ता/इन्डैन्टर/सत्यापन हेतु अधिकृत अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा मजदूरी के भुगतान के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य प्राप्त किये बिना ही अगले माह में देयक सत्यापित कर भुगतान की कार्रवाई कराया जाना भी नियमों के अनुकूल नहीं है।

उक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत संस्तुति की जाती है कि भविष्य में प्रत्येक माह की 07 तारीख तक सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। सेवा प्रदाता द्वारा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उनके बैंक खातों में ही भेजा जाये तथा किसी भी दशा में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नकद नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त समिति यह भी संस्तुति करती है कि विश्वविद्यालय द्वारा भी सेवा प्रदाता के देयकों का भुगतान शीघ्रता से किया जाये तथा अनावश्यक रूप से भुगतान प्रक्रिया को लम्बित रखने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये।

5. कुशल/अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतानः–

विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा विचार–विमर्श के दौरान समिति के संज्ञान में लाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा सेवा प्रदाता फर्म को टेण्डर में निर्धारित दरों के अन्तर्गत भुगतान किया जाता रहा है। जिसके पश्चात सेवा प्रदाता फर्म द्वारा सम्बन्धित कुशल/अकुशल श्रमिकों को भुगतान किया गया। सेवा प्रदाता द्वारा समिति को अवगत कराया गया

कि सभी कुशल/अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया गया है तथा कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय श्रमिकों जैसे ड्राईवर, कुक, विद्युत कार्य करने वाले कर्मी आदि को न्यूनतम मजदूरी से भी अधिक का भुगतान किया गया है। श्रम आयुक्त कानपुर द्वारा निर्गत किये गये पत्र सं0–2688/प्रवर्तन/14 दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा कुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी धनराशि रू0 304.03 तथा अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी रू0 246.75 निर्धारित की गयी है। कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की मजदूरी से कर्मचारी बीमा योजना हेतु 1.75 प्रतिशत तथा कर्मचारी बीमा योजना अभिदान हेतु 12 प्रतिशत की कटौती भी सेवा प्रदाता द्वारा प्रतिमाह की गयी है। सेवा प्रदाता मैसर्स ऐन्टेलस सिक्योरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेज द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि "कुशल/अकुशल श्रमिकों को कार्य करने के दिनों के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया गया है। जिन श्रमिकों के द्वारा अवकाश लिया गया अथवा बिना अवकाश के अनुपस्थित रहे उसके बदले में जिन श्रमिकों को लगाया गया उसका भुगतान भी सेवा प्रदाता द्वारा सम्बन्धित श्रमिकों को किया जाता रहा है। कुछ श्रमिकों द्वारा कई बार कार्यालय में देर तक कार्य किया गया है जिसके लिये उन्हें अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया गया है। किसी भी श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी के कम का भुगतान नहीं किया गया है तथा इसी कारण से श्रमिकों द्वारा पूरे मनोयोग से कार्य किया गया है। कुशल तथा अकुशल श्रमिकों द्वारा ठेके के दौरान कभी भी कोई शिकायत भुगतान कम होने की नहीं की गयी है। सेवा प्रदाता द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि एक कुशल श्रमिक द्वारा माह के 20 दिन कार्य करने पर रू0 304.03 की दर से धनराशि रू0 6080.00 की देयता बनती है जिसमें से कर्मचारी बीमा योजना (1.75 प्रतिशत की दर) हेतु रू0 106.00 तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना (12 प्रतिशत की दर) हेतु रू0 730.00 की कटौती करते हुए धनराशि रू0 5,244.00 प्रतिमाह की देयता बनती है। जिसके सापेक्ष कुशल श्रमिकों को धनराशि रू0 5,500.00 प्रतिमाह का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार एक अकुशल श्रमिक द्वारा माह के 20 दिन कार्य करने पर रू0 246.75 की दर से धनराशि रू0 4,935.00 की देयता बनती है जिसमें से कर्मचारी बीमा योजना (1.75 प्रतिशत की दर) हेतु रू0 86.00 तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना (12 प्रतिशत की दर) हेतु रू0 592.00 की कटौती करते हुए धनराशि रू0 4,257.00 प्रतिमाह की देयता बनती है। जिसके सापेक्ष कुशल श्रमिकों को धनराशि रू0 4,500.00 प्रतिमाह का भुगतान किया गया है। इससे स्पष्ट

है कि कुशल/अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के अनुसार ही भुगतान किया गया है।"

समिति का स्पष्ट मद है कि:–

सेवा प्रदाता फर्म मैसर्स ऐन्टेलस सिक्योरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेज द्वारा सम्बन्धित कुशल/अकुशल श्रमिकों को प्रत्येक माह मजदूरी भुगतान का विवरण इन्डेंन्टर/गठित समिति/देयक सत्यापित करने वाले अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था तथा श्रम नियमों के अन्तर्गत यह उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता का ही था कि वह प्रति माह भुगतान की गयी धनराशि का पूरा ब्यौरा विश्वविद्यालय के मुख्य नियोक्ता/इन्डेन्टर/कुलसचिव/अध्यक्ष, मानव दिवस आवंटन समिति को उपलब्ध करायें। यदि सेवा प्रदाता फर्म द्वारा प्रतिमाह मजदूरी भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था तो सम्बन्धित इन्डेन्टर/कुलसचिव/मानव दिवस आवंटन समिति के अध्यक्ष/भुगतान हेतु देयक सत्यापन करने वाली समिति के सदस्यों द्वारा मजदूरी भुगतान का विवरण प्राप्त करना चाहिए था परन्तु सेवा प्रदाता के साथ–साथ इन्डेन्टर/कुलसचिव/मानव दिवस आवंटन समिति के अध्यक्ष/भुगतान हेतु देयक सत्यापन करने वाली समिति के सदस्यों द्वारा अपने दायित्वों का अनुपालन नहीं किया गया। इसी स्तर पर की गयी लापरवाही के कारण ही उक्त समस्या उत्पन्न हुई है।

टेन्डर की शर्तों में विश्वविद्यालय स्तर पर एक समिति गठन किये जाने का प्राविधान था, परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा समिति का गठन न किया जाना लापरवाही का द्योतक है। यदि सक्षम स्तर से इस समिति का समय पर गठन कर दिया जाता तो विश्वविद्यालय में श्रमिकों सम्बन्धी यह समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। समिति का मत है कि लगभग 170 श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, ई0पी0एफ0 तथा राज्य कर्मचारी बीमा योजना आदि के भुगतान का प्रतिमाह नियमित रूप से सत्यापन का कार्य सम्बन्धित इन्डेन्टर/कुलसचिव/अध्यक्ष, मानव दिवस आवंटन समिति/मुख्य नियोक्ता/ वित्त नियंत्रक कार्यालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। उक्त कार्य में आवश्यकतानुसार राज्य कर्मचारी बीमा कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय तथा श्रम विभाग से भी आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करना एवं विश्वविद्यालय के 59 विभागों में कार्यरत कुशल /अकुशल श्रमिकों से प्रतिमाह सम्पर्क स्थापित कर सत्यापन करना निहित है। कुशल/अकुशल श्रमिकों की सेवायें विश्वविद्यालय के लगभग 60 विभागों/कार्यालयों/छात्रावासों/प्रयोगशालाओं आदि में प्राप्त किये जाने के कारण इनके कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी आदि के सहयोग के

20/9/16

बिना विभागों/कार्यालयों/छात्रावासों/प्रयोगशालाओं आदि का कार्य सत्यापित किया जाना आसान नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में विश्वविद्यालय में उच्च अधिकारियों सहित समस्त स्तरों पर सामंजस्य का घोर अभाव पाया गया। जांच के दौरान समिति द्वारा लगातार महसूस किया गया कि अधिकारियों द्वारा अपनी जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व का अनुपालन न कर दूसरे अधिकारी अथवा विभाग को उत्तरदायी बनाने का ही प्रयास किया गया।

उक्त सम्बन्ध में समिति द्वारा संस्तुति की जाती है कि भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किये जाने वाले टेण्डर की शर्त में स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि सेवा प्रदाता द्वारा अपने पास से श्रमिकों को माह की 07 तारीख तक मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। सेवा प्रदाता द्वारा अपने पास से मजदूरी/ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 आदि भुगतान करने के उपरान्त देयक विश्वविद्यालय को न्यूनतम मजदूरी, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 आदि का नियमानुसार भुगतान करने अथवा जमा करने के साक्ष्यों के साथ उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 आदि के भुगतान /जमा कराने के सत्यापन हेतु एक 03 सदस्यीय समिति का गठन किया जाना उपयुक्त होगा, जिसमें सम्बन्धित इण्डेंटर, वित्त नियन्त्रक के प्रतिनिधि तथा कुलसचिव (कार्मिक) द्वारा नामित अधिकारी (ग्रेड वेतन धनराशि रू0 5400/– से कम के नहीं) शामिल किये जायें। कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत एक से अधिक सत्यापन समितियों का गठन करने पर भी विचार किया जा सकता है। अधिकारियों द्वारा 3–4 कार्य दिवसों में सत्यापन कार्य सम्पादित करते हुए सत्यापन आख्या दी जायेगी तथा इसी सत्यापन आख्या के आधार पर देयक का भुगतान किया जायेगा। किसी भी समय यदि सत्यापित देयक में कोई त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिए सत्यापन समिति के सदस्य उत्तरदायी होगें। विश्वविद्यालय के शीर्ष स्तर से अधिकारियों में आपसी सामंजस्य स्थापित कराने की अपेक्षा भी की जाती है।

6. कुशल/अकुशल श्रमिकों को ई0एस0आई0 सुविधा दिया जानाः–

सेवा प्रदाता फर्म द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि समस्त कुशल/अकुशल श्रमिकों के राज्य कर्मचारी बीमा योजना सुविधा से सम्बन्धित कार्ड बनाने का कार्य परिसर में ही कैम्प लगवाकर सम्पादित कराया गया। जिसके अन्तर्गत काफी श्रमिकों के कार्ड

20/8/16

बनाये गये थे। फोटोग्राफ तथा अन्य प्रपत्र समय पर उपलब्ध न कराने तथा अन्य किसी कारणवश कुछ श्रमिक छूट गये थे। इस सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित रहे सेवा प्रदाता फर्म के प्रतिनिधि ने अवगत कराया गया कि ई0एस0आई0 सुविधा हेतु फर्म मैसर्स ऐन्टेलस सिक्योरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेज ने सभी कुशल/अकुशल श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया था। कार्ड होने या न होने की अवस्था में उक्त सुविधा से किसी भी श्रमिक को वंचित नहीं किया जा सकता।

कुशल/अकुशल श्रमिकों को राज्य कर्मचारी बीमा योजना की सुविधा के संबंध में राज्य कर्मचारी बीमा योजना कार्ड का नम्बर, नाम सहित तालिका उपलब्ध कराने के निर्देश सेवा प्रदाता को दिये गये। इन निर्देशों के अनुपालन में सेवा प्रदाता द्वारा संलग्न सूची के अनुसार 72 श्रमिकों के राज्य कर्मचारी बीमा योजना कार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं। (**संलग्नक–घ 1–271**) सेवा प्रदाता द्वारा देयक सत्यापन समिति को देयकों के साथ उपलब्ध कराये गये ई0एस0आई0 के चालान का संकलित विवरणः–

क्र. सं.	माह	चालान सं0	दिनाँक	धनराशि
1	जनवरी, 2015	06715105030226	04.03.2015	64,712.00
2	फरवरी, 2015	06715105030226	24.03.2015	67,712.00
3	मार्च, 2015	06715110054879	21.04.2015	1,50,872.00
4	अप्रैल, 2015	06715112027499	20.05.2015	1,33,220.00
5	मई, 2015	06715114753352	26.06.2015	60,573.00
6	जून, 2015	06715116888173	21.07.2015	36,427.00
7	जौलाई, 2015	06715119073992	18.08.2015	37,396.00
8	अगस्त, 2015	06715122150464	28.09.2015	43,903.00
9	सितम्बर, 2015	06715124286309	20.10.2015	43,800.00
10	अक्टूबर, 2015	06715126477167	20.11.2015	1,26,617.00
11	नवम्बर, 2015	0671512874257	23.12.2015	45,145.00
12	दिसम्बर, 2015	06716104465093	20.02.2016	46,185.00

बिन्दु संख्या–5 में की गयी संस्तुतियों के अनुसार कार्रवाई करना उपयुक्त होगा।

7. कुशल/अकुशल श्रमिकों को ई0पी0एफ0 का भुगतानः–

विश्वविद्यालय द्वारा सेवा प्रदाता फर्म मैसर्स ऐन्टेलस सिक्योरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेज को टेन्डर में निर्धारित दरों के अन्तर्गत भुगतान किया जाता रहा है। जिसके पश्चात सेवा प्रदाता फर्म द्वारा सम्बन्धित कुशल/अकुशल श्रमिकों के कर्मचारी भविष्य निधि

खाते में प्रतिमाह धनराशि जमा किया जाना बताया गया तथा इसके साक्ष्य भी प्रत्येक माह प्रस्तुत देयक के साथ उपलब्ध कराये गये। सेवा प्रदाता द्वारा देयक सत्यापन समिति को देयकों के साथ उपलब्ध कराये गये कर्मचारी भविष्य निधि चालान का संकलित विवरणः–

क्र. सं.	माह	चालान सं0/टी. आर.आर.नं0	दिनाँक	धनराशि
1	जनवरी,2015	4351502007871	03.03.2015	2,21,689.00
2	फरवरी, 2015	4351502007875	23.03.2015	2,21,621.00
3	मार्च, 2015	4351504006511	22.04.2015	5,61,088.00
4	अप्रैल, 2015	4351505005138	18.05.2015	5,06,855.00
5	मई, 2015	4351506005839	18.06.2015	1,41,722.00
6	जून, 2015	4351507005610	15.07.2015	2,40,171.00
7	जौलाई, 2015	4351508006203	25.08.2015	2,56,162.00
8	अगस्त, 2015	4351509008832	29.09.2015	1,68,338.00
9	सितम्बर, 2015	4351510007486	20.10.2015	2,62,577.00
10	अक्टूबर, 2015	4351511005498	18.11.2015	4,86,516.00
11	नवम्बर, 2015	4351512004768	18.12.2015	2,65,215.00
12	दिसम्बर, 2015	4351601008616	27.01.2015	3,03,569.00

वित्त नियंत्रक कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि भुगतान हेतु प्राप्त होने वाले देयकों के साथ प्रतिमाह ई0पी0एफ0/ई0एस0 आई0 के चालान उपलब्ध कराये गये तथा बिना चालान प्राप्त किये किसी भी माह का भुगतान नहीं किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि वित्त नियंत्रक कार्यालय के कार्मिकों द्वारा अपने स्तर से ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 चालान संलग्न होने की पुष्टि करने के उपरान्त ही सेवा प्रदाता को देय धनराशि का भुगतान किया गया है तथा अपने दायित्वों का अनुपालन किया है। समिति को विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रुप–4 सिक्योरिटी गार्ड लि0 बनाम कर्मचारी बीमा निधि अपीलेट ट्रिब्यूनल एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय के अनुसार ''सेवा प्रदाता के माध्यम से अनुबन्ध के आधार पर नियोजित श्रमिकों के सम्बन्ध में कर्मचारी बीमा निधि में अभिदान जमा कराने के लिए सेवा प्रदाता ही उत्तरदायी है''

कुशल/अकुशल श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के भुगतान की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता फर्म की होती है। सेवा प्रदाता द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कुशल/अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर ही कर्मचारी भविष्य निधि योजना की कटौती कर कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में खोले कर्मचारी भविष्य

28/08/16

निधि योजना खातों में प्रत्येक माह जमा किया गया है। सम्बन्धित कुशल/अकुशल श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में अपेक्षा की गयी थी कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सम्बन्ध में प्रत्येक श्रमिक की देयता का विवरण तैयार कर उपलब्ध करायें। परन्तु कई बार उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा के उपरान्त भी श्रमिकों के प्रतिनिधियों द्वारा कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत रहे कुशल/अकुशल श्रमिकों को राज्य भविष्य निधि आयुक्त, मेरठ द्वारा निर्गत भविष्य निधि लेखा पर्चियाँ समिति को श्रमिकों के श्रमिक प्रतिनिधियों से उक्त लेखा पर्चियों की छायाप्रति उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी परन्तु सेवा प्रदाता द्वारा अवगत कराया जाता रहा कि लेखा पर्ची निर्गत होते ही उपलब्ध करा दी जायेगी। दिनाँक 25 जुलाई, 2016 को आयोजित बैठक में सेवा प्रदाता द्वारा श्रमिकों के कर्मचारी भविष्य निधि खाते में पूर्व वर्ष के दौरान जमा करायी गयी धनराशि का संकलित विवरण उपलब्ध कराया गया। इस विवरण के आधार पर सेवा प्रदाता द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि श्रमिकों की देयता का विवरण तैयार किया गया है। सेवा प्रदाता द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि सूची में 221 कुशल/अकुशल श्रमिकों के नाम अंकित हैं जिसके अनुसार श्रमिक कार्य अनुबन्ध की अवधि के दौरान अलग–अलग अवधि के लिये कार्यरत रहे हैं, जिस कारण से उनकी मजदूरी, ई0पी0एफ0 तथा ई0एस0आई0 की देयता भी भिन्न–भिन्न होती है। श्रमिकों के बीच में कार्य छोड़कर अन्यत्र जाने के कारण नये श्रमिकों को कार्य पर लगाया गया तथा यह प्रक्रिया सतत चलती रही। सेवा प्रदाता द्वारा स्पष्ट किया गया कि कार्य अनुबन्ध के दौरान श्रमिकों द्वारा अवकाश पर रहने के कारण भी उनके स्थान पर दूसरे श्रमिकों को अल्प अवधि के लिये कार्य पर लगाया जाता रहा है ताकि विश्वविद्यालय के कार्यों में किसी भी प्रकार का व्यवधान न आये। श्रमिकों द्वारा कार्य अनुबन्ध की अवधि के दौरान जितने दिनों के लिये वास्तव में कार्य किया है उसी के आधार पर मजदूरी, ई0पी0एफ0 तथा ई0एस0आई0 का भुगतान जमा कराया गया है। कार्यालय समय के उपरान्त कार्य करने वाले श्रमिकों को अतिरिक्त धनराशि दी गयी है तथा इस पर ई0पी0एफ0 अथवा ई0एस0आई0 की कोई देयता नहीं बनती है। सेवा प्रदाता द्वारा जांच समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान में विलम्ब किये जाने के कारण ई0पी0एफ0 की सम्पूर्ण देय धनराशि समय से जमा नहीं करायी जा सकी। उपलब्ध करायी गयी तालिका के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि की 221 कुशल/अकुशल श्रमिकों की धनराशि रू0 26,17,879.00 की देयता के स्थान पर धनराशि रू0 16,28,244.00

20/8/16

की देयता पूर्व में ही जमा करायी जा चुकी है तथा अवशेष देयता धनराशि रू0 9,89,635.00 का भुगतान एकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से श्रमिकों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। (संलग्नक–घ 1–271)

सेवा प्रदाता के द्वारा देयक सत्यापन समिति को प्रस्तुत ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 चालानों के साथ ही श्रमिकों की सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा सत्यापन समिति द्वारा भी सूची ठेकेदार से प्राप्त नहीं की गयी। विश्वविद्यालय द्वारा किये गये टेण्डर में भी इसका उल्लेख नहीं था, जिसका लाभ ठेकेदार द्वारा उठाया गया तथा भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए कि चालानों के साथ सूची भी प्राप्त की जाये। ठेकेदार द्वारा समिति को बार–बार यह भी अवगत कराया गया कि टेण्डर के अनुसार कार्य अनुबन्ध था न कि श्रमिकों की संख्या का अनुबन्ध था। उपर्युक्त प्रस्तुत तालिका में अंकित तथ्यों से सहमत होते हुए जांच समिति अपेक्षा करती है कि सेवा प्रदाता फर्म मैसर्स ऐन्टेलस सिक्योरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेज द्वारा 221 कुशल व अकुशल श्रमिकों को धनराशि रू0 9,89,635.00 (रू0 नौ लाख नवासी हजार छः सौ पेंतीस मात्र) की अवशेष ई0पी0एफ0 देयता का भुगतान एकाउन्ट पेयी चैक के माध्यम से कुशल/अकुशल श्रमिकों को करते हुए धनराशि रू0 10/– के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर श्रमिकों से न्यूनतम मजदूरी, ई0पी0एफ0 तथा ई0एस0आई0 का सम्पूर्ण भुगतान प्राप्त करने तथा कोई भी देय अवशेष न रहने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाये। इस अदेयता प्रमाण–पत्र पर 02 साथी श्रमिकों के हस्ताक्षर साक्षी के रूप में अनिवार्य रूप से प्राप्त किये जायें। जांच समिति द्वारा यह भी संस्तुति की जाती है कि उपरोक्तानुसार अवशेष धनराशि का भुगतान करने तथा श्रमिकों से अदेयता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर वित्त नियंत्रक कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त सेवा प्रदाता फर्म मैसर्स ऐन्टेलस सिक्योरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेज की रोकी गयी धनराशि रू0 20.00 लाख को अवमुक्त कर दिया जाये। उपर्युक्त समस्त कार्रवाई 15 कार्य दिवसों में सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या–5 में की गयी संस्तुतियों के अनुसार कार्रवाई करना उपयुक्त होगा।

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के प्रमुख नियोक्ता द्वारा सहायक श्रमायुक्त कार्यालय मेरठ में पंजीकरण (One Time) कराना अनिवार्य है।

20/05/16

बिना पंजीकरण के किसी भी सेवा प्रदाता से श्रमिकों की सेवायें प्राप्त किया जाना श्रम कानूनों के अनुकूल नहीं है। विश्वविद्यालय के पंजीकरण के उपरान्त कार्य करने वाले समस्त सेवा प्रदाताओं द्वारा विश्वविद्यालय से फार्म–5 प्राप्त करने के उपरान्त सहायक श्रमायुक्त कार्यालय मेरठ में एक वर्ष के लिए पंजीकृत करते हुए लाइसेंस निर्गत किया जायेगा। इसके लिये सम्बन्धित सेवा प्रदाता द्वारा पंजीकरण शुल्क भी श्रम विभाग में जमा कराया जायेगा। परन्तु विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा श्रम कानून के अन्तर्गत अनिवार्य पंजीकरण कराने में उदासीनता बरती गयी है। यदि विश्वविद्यालय द्वारा श्रम नियमों के अन्तर्गत अपना पंजीकरण करा लिया गया होता तथा सेवा प्रदाता द्वारा श्रम विभाग से लाईसेन्स प्राप्त किया जाता तो न्यूनतम मजदूरी भुगतान, ई0पी0एफ0, राज्य कर्मचारी बीमा योजना आदि के सम्बन्ध में श्रम विभाग द्वारा सेवा प्रदाताओं पर अंकुश रखा जाता। परन्तु विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय का पंजीकरण श्रम विभाग में न कराने के कारण सेवा प्रदाताओं पर श्रम विभाग द्वारा सीधे नियंत्रण नहीं रखा जा सका तथा इसी कारण कई प्रकरणों में विश्वविद्यालय तथा श्रमिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। **विश्वविद्यालय द्वारा तत्काल सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराया जाना अपेक्षित है।**

(सतीश पाल)	(संगीता राहुल)	(डा0 महेश कौशिक)
वित्त एवं लेखाधिकारी	सदस्य	सदस्य
माध्यमिक शिक्षा, मेरठ।	मा0 प्रबन्ध परिषद	मा0 प्रबन्ध परिषद